न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 1043/2017

ग्यारसी देवी पुत्री स्व. श्री रामकुंवार धर्मपत्नि श्री बालू, जाति गुर्जर, निवासीः ग्राम डाबिच गुजरान, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. लिक्ष्मण उर्फ लक्ष्मण पुत्र श्री मांगू गुर्जर (मृतक दौराने अपील)
   - 1/1 भूरी देवी पत्नि स्व. श्री लक्ष्मण
   - 1/2 शंकर पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण
   - 1/3 जगदीश पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण
   - 1/4 ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण
   - 1/5 अजयपाल पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण
   - 1/6 लोकेश पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण
     समस्त जाति गुर्जर, निवासीः ग्राम डाबिच गुजरान, तहसील फागी, जिला जयपुर।
   - 1/7 मनभर देवी पुत्री स्व. श्री लक्ष्मण धर्मपत्नि भगवान, जाति गुर्जर, निवासीः ग्राम सोडा बावडी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।
   - 1/8 सीता देवी पुत्री स्व. श्री लक्ष्मण धर्मपत्नि किशोर, जाति गुर्जर, निवासीः ग्राम अरनिया, तहसील निवाई, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

2. उपतहसीलदार माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक माधोराजपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

—— तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 26.10.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 77/2016 एवं 83/2016 उनवानी ग्यारसी देवी बनाम लिक्ष्मण व अन्य अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री राजाराम चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री एस.जे. गिरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांकः 26.12.2019

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर के प्रार्थना पत्र संख्या 77/2016 एवं 83/2016 बउनवानी ग्यारसी देवी बनाम लिक्ष्मण व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26.10.2017 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

राजस्व प्राधिकारी
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 108 के आराजी खसरा नंबर 1386/1718 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, कुल किता 1 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खतौनी संख्या 109 आराजी खसरा नंबर 1213 रकबा 2 बीघा, खसरा नंबर 1214 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा खतौनी संख्या 110 के आराजी खसरा नंबर 1188 रकबा 1 बीघा खसरा नंबर 1189 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 1191 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 1192 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा, खतौनी संख्या 111 के खसरा नंबर 1197 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 1198 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 1199 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 1200 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 1201 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 1202 रकबा 9 बिस्वा, खतौनी संख्या 112 के खसरा नंबर 1211 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 11 बिस्वा, खतौनी संख्या 113 के खसरा नंबर 1377 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 1378 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 1379 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नंबर 1380 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 1381 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 1382 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 1383 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा, खतौनी संख्या 114 के खसरा नंबर 1244 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 3 बिस्वा, खतौनी संख्या 128 के खसरा नंबर 1196 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 1203 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा, खतौनी संख्या 133 के खसरा नंबर 356 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 374 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 376 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 378 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 39 बीघा 18 बिस्वा, खतौनी संख्या 134 के खसरा नंबर 355 रकबा 76 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 76 बीघा 18 बिस्वा, खतौनी संख्या 140 के खसरा नंबर 1186 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 13 बिस्वा वाके ग्राम डाबिच गुजरान पटवार हल्का डाबिच भू. अभि.नि.क्षेत्र चित्तौडा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें प्रार्थीनी का खतौनी संख्या 110, 111, 112, 113, 114 में 1/6 हिस्सा व खतौनी संख्या 108, 133, 134 में 1/3 हिस्सा व खतौनी संख्या 109 में 1/4 हिस्सा, खतौनी संख्या 140 में 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है एवं खतौनी संख्या 102 के आराजी खसरा नंबर 399/1799 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा भूमि वाके ग्राम डाबिच गुजरान पटवार हल्का डाबिच भू. अभि.नि.क्षेत्र चित्तौडा, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादिनी का 1/6 हिस्से की खातेदार काश्तकार है व अपने हिस्से पर काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करती आ रही है। लगान सरकारी अदा करते आ रही है। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 1 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक मौरूसी मुस्तका सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 का जन्मजात हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार के तहत निहित है। सिजरा खानदान अनुसार प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा स्व. रामकुंवार के वंशज है एवं उक्त विवादित आराजी प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व. रामकुंवार की सम्पत्ति में से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

प्रार्थीनी जन्म के साथ ही हक प्राप्त करने का अधिकारी है। विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीनी के पिता रामकुंवार पुत्र रूपा की खातेदारी आराजी थी। प्रार्थीनी के पिता स्व. रामकुंवार ने जीवनकाल में ही आराजी को प्रार्थीनी के एकमात्र जाईन्दा वारिस रह जाने से तथा प्रार्थीनी की बहिन लछमा व भाई उद्वा की नाबालिक अवस्था में ही फौत हो जाने से प्रार्थीनी के पिता बीमार रहने लगे प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 हिन्दू परिवार के सदस्य होने व आपस में विश्वास होने से प्रार्थीनी आराजी अप्रार्थी संख्या 1 को बांटे पर बता काश्त करवाती तथा समय–समय पर अपने माता–पिता व आराजी को अपने ससुराल जोधपुरिया से आकर संभलाती रही है। विवादग्रस्त आराजी से प्राप्त फसल से प्रार्थीनी अपना व माता–पिता की देखभाल करती थी। अप्रार्थी संख्या 1 समय पर फसल संभला देता जिसे प्रार्थीनी हमेशा आश्वस्त रही। प्रार्थीनी के माता–पिता ने कभी किसी व्यक्ति का अप्रार्थी संख्या 1 को गोद नहीं लिया। प्रार्थीनी ने ही अपने पिता की मृत्यु पर समस्त क्रियाकर्म रस्मे में लगने वाला खर्च वहन किया। प्रार्थीनी के पिता की मृत्यु सन् 1983 में हो गई तथा उनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थीनी ग्राम पंचायत व संबंधित कर्मचारी को विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीनी व प्रार्थीनी की माता भोली देवी जो स्व. रामकुंवार के जाईन्दा जायज वारिसो के खोलने बाबत प्रार्थीना पत्र दिया जिस पर प्रार्थीनी आश्वस्त रही कि प्रार्थीनी स्वर्गीय रामकुंवार की जायन्दा पुत्री है तथा पूर्व में विवादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार प्रार्थीनी का पिता रहा है। प्रार्थीनी के पिता रामकुंवार की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीनी व प्रार्थीनी की माता भूली देवी एकमात्र खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीनी की माता भूली देवी की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीनी ही एकमात्र खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थीनी की माता भूली देवी की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीनी ही एकमात्र खातेदार काश्तकार है। विवादग्रस्त आराजी को प्रार्थीनी अप्रार्थी संख्या 1 को बांटे पर बताकर काश्त करती आयी है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा समय पर जमीन काश्त कर हिस्से की फसल को प्रार्थीनी को संभलाते आने के कारण प्रार्थीनी को अप्रार्थी संख्या 1 पर पूर्ण विश्वास था। अप्रार्थी संख्या 1 ने पिछले 2 वर्षो से जमीन की पाति प्रार्थीनी को नहीं दी है तथा प्रार्थीनी द्वारा आराजी को अन्य किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा काश्त करने बाबत कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीनी को कहा कि स्व. रामकुंवार की संपूर्ण आराजी मैने अपने नाम करवा ली है अब कई वर्ष निकल जाने के उपरान्त तुम्हारा इस जमीन में से हक नहीं है इस बाबत प्रार्थीनी को अपने हक व अधिकारो की रक्षार्थ प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीनी अपने पिता से प्राप्त आराजी को अपने पिता के बडे भाई के लडके अप्रार्थी संख्या 1 को बांटे पर बताकर काश्त करवाती आ रही थी तथा अपना हिस्सा प्राप्त कर आश्वस्त थी मगर 7 साल पूर्व जब प्रार्थीनी की माता भूली देवी का स्वर्गवास हुआ तो आस–पास समाज के लोगो ने अप्रार्थी संख्या 1 की नियत में खारे होने बाबत प्रार्थीनी को बताया मगर अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीनी के परिवार का होने का हवाला देकर प्रार्थीनी को आश्वस्त किया कि प्रार्थीनी की पैतृक जमीन को वह संभालता है तथा स्व. रामकुंवार की खातेदारी जमीन तुम्हारे व तुम्हारी माता के नाम चली आ रही है। इस पर प्रार्थीनी आश्वस्त रही तथा अपने पिता की पुश्तैनी रहवास के मकान व आराजी आदि भी अप्रार्थी संख्या 1 को संभला कर अपने ससुराल चली गयी व समय–समय पर फसल का हिस्सा लेकर आश्वस्त रही। प्रार्थीनी ने अपने पिता प्राप्त खातेदारी आराजी को अप्रार्थी संख्या 1 से शांतिपूर्वक बांटे पर बताक काश्त करवाती चली रही थी मगर गत वर्ष आराजी में पेडा अधिक होने व अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा फसल कम देने से प्रार्थीनी ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

आराजी किसी ओर व्यक्ति से काश्त करवाने की बात कही तो अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त संपूर्ण आराजी जो स्व. रामकुंवार की थी को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में करवाने को कहा तथा आराजी से तुम्हारे कोई लेना देना शेष नहीं होने की बात कही तथा अन्य को काश्त करने से मना किया इस पर प्रार्थीनी ने राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीनी के पिता स्व. रामकुंवार की आराजी को बसाजपूर्वक षडयंत्र रचकर आराजी का नामान्तकरण अवैद्य रूप से अकेले अपने नाम खुलवा लिया और प्रार्थीनी को मुगालते में रखा इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। अभी हाल ही दिनांक 14/10/2013 को प्रार्थीनी अपने हिस्से की आराजी पर बुवाई करवा रही थी कि अप्रार्थी संख्या 1 अन्य दीगर व्यक्तियो को साथ लेकर आया व आराजी की बेचान की बात करने लगे मैने जमीन अपने पिता की होने व धोखे से नाम लगवाने की बात कही तो अप्रार्थी संख्या 1 ने आराजी काश्त करने से मना करते हुये धमकी दी कि आराजी का बेचान मैं साथ आये लोगो को करूंगा राजस्व रिकॉर्ड में आराजी मेरे नाम दर्ज है जिसे मैं बेचान कर दूंगा क्रेता लाठी के दम पर कब्जा प्राप्त कर लेगे इसलिये प्रार्थीनी को वाद अपने कानूनी अधिकारो की रक्षार्थ पेश करना लाजमी आया। विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी के पिता स्व. रामकुंवार की खातेदारी होने से तथा प्रार्थीनी ही एकमात्र जाईन्दा पुत्री होने से प्रार्थीनी के जन्म के साथ ही स्व. रामकुंवार की आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनन प्राप्त करने की अधिकारिणी है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि स्व. रामकुंवार व भूली देवी की सहमति के बिना अपने आप को दत्तक पुत्र घोषित कर बसाजपूर्वक जाईन्दा वारिसान को छुपाते हुये आराजी में हक प्रापत करे तथा प्राप्त हक से आराजी को बेचान कर आराजी को खुर्द–बुर्द करे। विवादग्रस्त आराजी को पूर्व खातेदार काश्तकार स्व. रामकुंवार पुत्र रूपा रहे तथा जिनके दो पुत्री प्रार्थीनी ग्यारसी देवी व लछमा एवं एक पुत्र उद्वा व पत्नी भूली देवी वारिसान रहे उन्होने अपने जीवनकाल मं किसी को भी गोद नहीं लिया तथा इस बाबत किसी प्रकार का पंजीयन नहीं करवाया स्व. रामकुंवार के जीवित रहते एक पुत्री लछमा व पुत्र उद्वा की मृत्यु हो गयी थी तथा उनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थीनी व उनकी पत्नि एक मात्र जाईन्दा वारिस रहे इसलिये भी आराजी से अप्रार्थी संख्या 1 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बसाजपूर्वक खुलवाने गये विरासत का नामान्तकरण प्रारंभ से ही शून्य है। विवादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर बेचान करने के उपरोक्त मंसूबे जिसका कि से किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कामयाब हो गया तो प्रार्थीनी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा तथा पैत्रृक सम्पत्ति से महरूम होना पडेगा एवं व्यर्थ में मुकदमेबाजी बढेगी खर्चे से जेरबार होना पडेगा इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। स्व. रामकुंवार की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने के पश्चात हुई थी तथा उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार स्व. रामकुंवार के हिस्से की आराजी में प्रार्थीनी का हिस्सा निहित है जिसे प्रार्थीनी कभी भी अपने नाम घोषित करवाने की कानूनन अधिकारिणी है। सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को रहन, बेय, मुन्तकिल नहीं करे, नहीं प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी में बेजामजाहमत न स्वयं करे, न अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

से करावे, न ही एजेन्ट, सर्वेन्ट नौकर से करावे, मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन दिनांक 26.10.2017 को निर्णय पारित कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अपीलार्थीया को रेस्पोडेन्ट द्वारा रामकुंवार की पुत्री होना स्वीकार किया गया है। अपीलार्थीया के पिता रामकुंवार व माता श्रीमती मूली देवी ने किसी व्यक्ति या रेस्पोडेन्ट को कभी गोद नहीं लिया है एवं ना ही इस संबंध में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई दस्तावेज पेश किये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना ही अपीलाधीन निर्णय गलत पारित किया है। इस कारण अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.10.2017 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि रामकुंवार द्वारा रेस्पोडेन्ट को गोद लिया गया है एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा ही समस्त सामाजिक कार्य किये गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं रेस्पोडेन्ट की अपूर्तनीय क्षति को दृष्टिगत रखते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने मात्र रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान करने की नियत से आधारहीन तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपीलान्ट की अपील आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2017 को खारिज फरमा दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि प्रार्थीया/अपीलान्ट ग्यारसी देवी द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात में रामकुंवार की वारिस पुत्री होने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद प्रस्तुत कर विवादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी का अनुतोष चाहा गया। अप्रार्थी लक्ष्मण द्वारा स्वर्गीय रामकुंवार के गोद का पुत्र होना बताते हुये रामकुंवार की संपूर्ण आराजीयात का एकमात्र वारिस होना बताया गया है। जिसके संदर्भ में अप्रार्थी लक्ष्मण द्वारा अपने पक्ष में खुला हुआ नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत की है। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में एवं अन्य दस्तावेजात के माध्यम से अपीलान्ट ग्यारसी देवी को रामकुंवार की पुत्री न होने का कही भी वर्णन या विर्निदिष्ट रूप से खंडन नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपंजीकृत गोदनामा की फोटोप्रति को देखने से भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट रामकुंवार की पुत्री है जिसे स्वयं अप्रार्थी ने गोदनामे में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किये जाने से अपीलान्ट ग्यारसी देवी का रामकुंवार की पुत्री होना साबित है। जिससे अपीलान्ट रामकुंवार की पुत्री के रूप में वारिस होना पायी जाती है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट मृतक रामकुंवार की पुत्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

होने से विवादग्रस्त आराजीयात बाबत विचाराधीन वाद में जब तक अपीलान्ट के हक अधिकार घोषित या अघोषित नहीं हो जाते है तब तक प्रथमदृष्टया मामला अपीलान्ट के पक्ष में पाया जाता हैं एवं रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण को बेचान एवं मौका स्थिति कायम रखने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो प्रार्थीया/अपीलान्ट को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में प्रबल पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2017 खारिज किया जाकर रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निर्णय तक वादग्रस्त आराजीयात को रहन व बेचान न करने एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर